

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25032021-226088  
SG-DL-E-25032021-226088असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|         |                                                   |                            |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| सं. 93] | दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 2021/ चैत्र 3, 1943     | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 369 |
| No. 93] | DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 2021/ CHAITRA 3, 1943 | [N. C. T. D. No. 369       |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 मार्च, 2021

सं. फा. 14(72)/एलए-2021/cons2law/20-28.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 23 मार्च, 2021 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

**"दिल्ली विनियोग (संख्या 02) अधिनियम, 2021  
(2021 का दिल्ली अधिनियम 02)**

(12 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[23 मार्च, 2021]

वर्ष 2021-2022 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

### संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2021 है।

**₹69000,00,00,000/- का वर्ष 2021-2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त**

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए **उनहत्तर हजार करोड़ रुपये** की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2021-2022 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

### विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

### अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

| अनुदान संख्या | सेवाएं और प्रयोजन         |        | विधान सभा द्वारा अनुदत्त | संचित निधि पर भारित | योग       |
|---------------|---------------------------|--------|--------------------------|---------------------|-----------|
| I             | II                        |        | III                      | IV                  | V         |
| 1             | विधान मंडल                | राजस्व | 611500                   | 11700               | 623200    |
| 2             | सामान्य प्रशासन           | राजस्व | 7961550                  | 180750              | 8142300   |
| 3             | न्याय प्रशासन             | राजस्व | 11442700                 | 3330100             | 14772800  |
|               |                           | पूँजी  | 10000                    | 0                   | 10000     |
| 4             | वित्त                     | राजस्व | 3507300                  | 1000                | 3508300   |
|               |                           | पूँजी  | 5000                     | 0                   | 5000      |
| 5             | गृह                       | राजस्व | 9587900                  | 9500                | 9597400   |
|               |                           | पूँजी  | 1030500                  | 0                   | 1030500   |
| 6             | शिक्षा                    | राजस्व | 140085250                | 6900                | 140092150 |
|               |                           | पूँजी  | 4819650                  | 0                   | 4819650   |
| 7             | चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | राजस्व | 80634290                 | 109810              | 80744100  |
|               |                           | पूँजी  | 3694500                  | 0                   | 3694500   |
| 8             | समाज कल्याण               | राजस्व | 93266730                 | 400                 | 93267130  |
|               |                           | पूँजी  | 22328670                 | 0                   | 22328670  |
| 9             | उद्योग                    | राजस्व | 5739350                  | 550                 | 5739900   |
|               |                           | पूँजी  | 52200                    | 0                   | 52200     |
| 10            | विकास                     | राजस्व | 31499250                 | 2450                | 31501700  |
|               |                           | पूँजी  | 8929200                  | 10000               | 8939200   |

|    |                           |        |                  |                 |                  |
|----|---------------------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| 11 | शहरी विकास और लोक निर्माण | राजस्व | 96630700         | 1800            | 96632500         |
|    |                           | पूँजी  | 88060000         | 400000          | 88460000         |
| 12 | ऋण                        | पूँजी  | 15000            | 0               | 15000            |
| 13 | पेंशन                     | राजस्व | 30000            | 0               | 30000            |
| 15 | सार्वजनिक ऋण              | राजस्व | 0                | 33342100        | 33342100         |
|    |                           | पूँजी  | 0                | 42651700        | <b>42651700</b>  |
|    | <b>योग</b>                |        | <b>609941240</b> | <b>80058760</b> | <b>690000000</b> |

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव

## DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

### NOTIFICATION

Delhi, the 24th March, 2021

**No. F. 14(72)/LA-2021/cons2law/20-28.**—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 23<sup>rd</sup> March, 2021 and is hereby published for general information:-

### “THE DELHI APPROPRIATION (NO.2) ACT, 2021

#### (DELHI ACT 02 OF 2021)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 12<sup>th</sup> March, 2021)

[23<sup>rd</sup> March, 2021]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2021-2022 .

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy Second Year of the Republic of India as follows:-

#### Short title

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 2) Act, 2021

#### Issue of ₹69000,00,00,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2021-2022.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees Sixty Nine Thousand Crore Only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2021-2022 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

#### Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

**SCHEDULE**  
(See sections 2 and 3)

(₹ In thousand)  
**SUMS NOT EXCEEDING**

| Demand No. | Services and Purposes              |         | Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | Total            |
|------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| I          | II                                 |         | III                               | IV                               | V                |
| 1          | Legislative Assembly               | Revenue | 611500                            | 11700                            | 623200           |
| 2          | General Administration             | Revenue | 7961550                           | 180750                           | 8142300          |
| 3          | Administration of Justice          | Revenue | 11442700                          | 3330100                          | 14772800         |
|            |                                    | Capital | 10000                             | 0                                | 10000            |
| 4          | Finance                            | Revenue | 3507300                           | 1000                             | 3508300          |
|            |                                    | Capital | 5000                              | 0                                | 5000             |
| 5          | Home                               | Revenue | 9587900                           | 9500                             | 9597400          |
|            |                                    | Capital | 1030500                           | 0                                | 1030500          |
| 6          | Education                          | Revenue | 140085250                         | 6900                             | 140092150        |
|            |                                    | Capital | 4819650                           | 0                                | 4819650          |
| 7          | Medical and Public Health          | Revenue | 80634290                          | 109810                           | 80744100         |
|            |                                    | Capital | 3694500                           | 0                                | 3694500          |
| 8          | Social Welfare                     | Revenue | 93266730                          | 400                              | 93267130         |
|            |                                    | Capital | 22328670                          | 0                                | 22328670         |
| 9          | Industries                         | Revenue | 5739350                           | 550                              | 5739900          |
|            |                                    | Capital | 52200                             | 0                                | 52200            |
| 10         | Development                        | Revenue | 31499250                          | 2450                             | 31501700         |
|            |                                    | Capital | 8929200                           | 10000                            | 8939200          |
| 11         | Urban Development and Public Works | Revenue | 96630700                          | 1800                             | 96632500         |
|            |                                    | Capital | 88060000                          | 400000                           | 88460000         |
| 12         | Loans                              | Capital | 15000                             | 0                                | 15000            |
| 13         | Pensions                           | Revenue | 30000                             | 0                                | 30000            |
| 15         | Public Debt                        | Revenue | 0                                 | 33342100                         | 33342100         |
|            |                                    | Capital | 0                                 | 42651700                         | 42651700         |
|            | <b>Total</b>                       |         | <b>609941240</b>                  | <b>80058760</b>                  | <b>690000000</b> |

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy.